

कार्यालय आयुक्त/ पदेन सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
(छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग के अधीन गठित)
ब्लाक-डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा
रायपुर, दूरभाष-0771-2263708,

Office of the Commissioner/Ex Officio Secretary,
Chhattisgarh State Level Tribal Welfare, Residential and
Ashram Educational Institutions Committee, (Constituted
under Government Of Chhattisgarh, ST & SC
Development Department)
Block-D, Ground Floor, Indrawati Bhawan, Atal Nagar,
Nawa Raipur, Phone No- 0771-2263708,
<https://eklavya.cg.nic.in> Email-eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक/EMRS/364/2023-24/ 606
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 17/4/2023

कलेक्टर/अध्यक्ष

जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं
आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला-.....(छ०ग०)

विशय:- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु वित्त एवं लेखा संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- कार्या0 पत्र क्र./EMRS/364/2022-23/14015, दिनांक 17/03/2023

—00—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिक्षण सत्र 2023-24 से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जिसका पालन अनिवार्य रूप से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में किया जाए।

संदर्भित पत्र द्वारा जारी दिशा-निर्देश की कंडिका क्रमांक -4 में बैंक खाता संधारण हेतु निम्नांकित निर्देश दिए गए हैं :-

क.	स्तर	खाता का प्रकार	बैंक खाता धारक
1	जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति	संयुक्त	कलेक्टर/अध्यक्ष जिला स्तरीय समिति एवं सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव, आदिवासी विकास
2	विद्यालय स्तर पर	संयुक्त	सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव, जिला स्तरीय समिति एवं प्राचार्य/संस्था प्रमुख एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

उपरोक्तानुसार लेख है कि विद्यालय स्तर पर प्राचार्य का एकल खाता नहीं होगा केवल सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के साथ संयुक्त होगा। छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका के पदनाम से का कोई भी बैंक खाता नहीं होगा। छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका के पदनाम के समस्त बैंक खाते की राशि विद्यालय स्तर के खाते में हस्तांतरित कर तत्काल प्रभाव से खाता बंद किया जावे।

उपरोक्तानुसार खोले गये बैंक खातों की पासबुक की छायाप्रति एवं अधीक्षकों के बंद किये गये खातों का स्टेटमेंट सहित संलग्न निर्धारित प्रपत्र-01 एवं 02 में जानकारी दिनांक 21.04.2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(शम्मी आबिदी)

आयुक्त/पदेन सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य-स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

// 02 //

पृ.क्रमांक/EMRS/364/2023-24/ 607

नवा रायपुर, दिनांक 17/4/2023

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. संबंधित सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला-.....(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख/छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जिला(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त/पदेन सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य-स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़